Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 15 मई, 2021

व्हिटिली अवार्ड्स-2021

नगालैंड के लॉन्गलेन्ग ज़िले के पर्यावरणविद् 'नुक्लू फोम' का चयन 'व्हिटिली अवार्ड्स-2021' के लिये किया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन स्थित 'व्हिटिली फंड फॉर नेचर' नामक धर्मार्थ संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। व्हिटिली अवार्ड्स का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर कार्यरत वन्यजीव संरक्षणवादियों का समर्थन करना है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को उनकी पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिये 40,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। साथ ही यह पुरस्कार विजेताओं को उनके सामने आने वाले विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करता है। इस पुरस्कार को 'ग्रीन ऑस्कर' के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार नगालैंड में प्रतिवर्ष आने वाले 'अमूर फाल्कन' पक्षियों को स्थानीय शिकारियों से बचाने के लिये एक नए 'जैव विविधिता शांति गलियारे' की स्थापना हेतु नुक्लू फोम द्वारा किये गए प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है। फोम के इस शांति गलियारे का उद्देश्य पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए समुदायों, नीति निर्माताओं और वैज्ञानिकों को एक साथ एक मंच पर लाना है। ज्ञात हो कि 'अमूर फाल्कन' दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं, ये सर्दियों की शुरुआत के साथ यात्रा शुरू करते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण-पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं तथा लाखों की संख्या में मंगोलिया एवं साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक प्रवास करते हैं। नगालैंड को 'फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' (IDF) मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्त्व को उजागर करना है। ज्ञात हो कि परिवार समाज के निर्माण की मूलभूत इकाई है और यह एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्त्व रखता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आम जनमानस के बीच परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और संबंधों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों के बारे में समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2021 के लिये इस दिवस का थीम है- 'परिवार और नई प्रौद्योगिकियाँ'। यह थीम परिवार और पारिवारिक संबंधों पर नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव पर केंद्रित है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1993 में 15 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस' के रूप में घोषित किया और सबसे पहले इसे 15 मई, 1994 को मनाया गया था।

विश्व खाद्य पुरस्कार

भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉ. शकुंतला हरकसिंह थलिस्टेड को जलीय खाद्य प्रणालियों के लिये समग्र पोषण-संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में उनके अभूतपूर्व शोध के लिये प्रतिष्ठित 'विश्व खाद्य पुरस्कार-2021' हेतु चुना गया है। डॉ. शकुंतला थलिस्टेड द्वारा बांग्लादेश में छोटी देशी मछली प्रजातियों पर किये गए शोध ने खेतों से लेकर खाद्य प्रसंस्करण और अंतिम उपभोक्ताओं तक सभी स्तरों पर जलीय खाद्य प्रणालियों के लिये पोषण-संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास किया, जिसके परिणामस्वरूप एशिया और अफ्रीका के लाखों संवेदनशील लोगों को बेहतर आहार प्राप्त हो सका। 'विश्व खाद्य पुरस्कार' विश्व भर में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने वाला सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह वार्षिक आधार पर दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो विश्व खाद्य आपूर्ति में शामिल किसी भी क्षेत्र में किये गए योगदान को मान्यता देता है, जिसमें पौधे, पशु, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पोषण एवं ग्रामीण विकास आदि शामिल हैं। इसमें 2,50,000 डॉलर के नकद पुरस्कार के अलावा पुरस्कार विजेता को प्रसिद्ध कलाकार और डिज़ाइनर, शाऊल बास द्वारा डिज़ाइन की गई एक मूर्ति प्रदान की जाती है।

हार्टबीट बिल

अमेरिका के टेक्सास प्रांत द्वारा हाल ही में 'हार्टबीट बिल' नामक एक विवादास्पद विधेयक पारित किया गया है, जो कि किसी भ्रूण में हृदय संबंधी गतिविधि का पता लगने पर गर्भपात की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करता है यानी यदि भ्रूण में दिल की धड़कन शुरू हो गई है तो गर्भपात नहीं करवाया जा सकेगा। इस विधेयक के साथ टेक्सास उन दर्जन से अधिक अन्य राज्यों के समूह में शामिल हो गया है, जिन्होंने इस प्रकार के प्रतिबंध से संबंधित कानून बनाए हैं, हालाँकि इन सभी कानूनों पर संघीय अदालतों द्वारा रोक लगा दी गई है। टेक्सास द्वारा पारित यह विधेयक अन्य राज्यों के कानून के विपरीत राज्य सरकार को प्रतिबंध लागू करने के लिये उत्तरदायी नहीं बनाता है। यह विधेयक राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करते हुए गर्भपात करने वाले चिकित्सा पेशेवर अथवा इस कृत्य में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-15-may-2021